अक्तूबर 29, 2020 सरकारी आदेश 2020-65

COVID-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश
(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 61)

जबकि, कुछ ही समय में कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, जो शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गई है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणरहित लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाए इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; और,

जबकि, 16 अक्टूबर, 2020 को, कोविड-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, जन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ कार्य करते हुए, मैंने एक सुविचारित योजना प्रस्तुत की थी जो कोविड-19 के पुनरुत्थान का मुकाबला करने और अनियंत्रणीय प्रसार की रोकथाम करने के लिए न्यूनीकरण के चरणों की कई पर्तों को उपयोग में लाती है; और,

जबकि, उस योजना में ऐसे दो परिदृश्यों का वर्णन था जिसमें राज्य को किसी क्षेत्र विशेष में अधिक प्रतिबंधात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय स्थापित करने पड़ते और अतिरिक्त शमन उपाय लागू करने पड़ते: पहला, परीक्षणों के पॉज़िटिव आने की दर के 7-दिवसीय चल औसत में लगातार (10 में से 7 दिन) वृद्धि होना, और साथ में या तो (a) किसी कोविड-जैसे रोग के लिए अस्पताल में होने वाली भर्तियों में लगातार 7 दिन वृद्धि हो, या फिर (b) अस्पताल की क्षमता में इतनी कमी हो जिससे मामलों में उछाल को संभालने की क्षमता ख़तरे में पड़ जाए (ICU क्षमता या मेडिकल/सर्जिकल बैड्स 20% से कम); अथवा दूसरा, औसत लगातार तीन दिनों तक 8% COVID सकारात्मकता दर (7 दिनों का रोलिंग औसत) से अधिक या इसके बराबर हो; और,

जबकि, क्षेत्र 9, जो लेक और मैकहेनरी काउंटियों को मिलाकर बना है, में हो रहे वर्तमान प्रसार ने इनमें से दूसरे परिदृश्य को सक्रिय कर दिया है क्योंकि क्षेत्र का औसत तीन क्रमागत दिनों के लिए कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण पॉज़िटिव आने की 8% की दर (7 दिनीय चल औसत) से अधिक रहा है; और,

इसलिए, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (8),7 (9), और 7(12) के अनुसार एवं लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के साथ संगत, मैं अक्तूबर, 31, 2020 की मध्यरात्रि 12:01 बजे से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

अनुभाग 1. क्षेत्र 9, जो लेक और मैकहेनरी काउंटियों को मिलाकर बना है, के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंध एवं न्यूनीकरण स्थापित किए जाते हैं:

a. <u>सभी रेस्त्रां और बारों के लिए शमन उपाय।</u> क्षेत्र के रेस्त्रां एवं बार इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं, जो भवन के अंदर एवं बाहर खुले में भोजन के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा जारी चौथे फ़ेज के मार्गदर्शन के संपूरक हैं:
    1. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बारों को रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाना चाहिए, और अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिएं।
    2. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बार, परिसर में भवन के अंदर भोजन परोसना स्थगित रखेंगे।
    3. परिसर में खाने या पीने वाले सभी ग्राहक बाहर खुले में कम-से-कम छः फ़ीट दूर रखी मेज़ों पर बैठेंगे। एक मेज़ पर एक से अधिक दल (पार्टियां) नहीं बैठेंगी।

4. जिन ग्राहकों को बैठने के लिए अब तक कोई मेज़ न मिली हो वे परिसर के बाहर प्रतीक्षा करेंगे और, प्रतीक्षा करते समय उस दल (पार्टी) से बड़े समूहों में एकत्र नहीं होंगे जिसके साथ वे भोजन करने आए हैं। परिसर में खड़े होने, एकत्र होने, या नाचने की अनुमति नहीं है।
5. हर दल (पार्टी) के पास आरक्षण होना चाहिए, भले ही वह वहीं आकर लिया गया हो, ताकि संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में रेस्त्रां या बार के पास प्रत्येक दल (पार्टी) तक पहुंचने के लिए संपर्क जानकारी हो।

b. <u>सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शमन उपाय।</u> क्षेत्र की सभाएं एवं सामाजिक कार्यक्रम इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं, जो सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग द्वारा जारी चौथे फ़ेज के मार्गदर्शन के संपूरक हैं:
   1. सभाएं एवं सामाजिक कार्यक्रम 25 लोगों और कक्ष की समग्र क्षमता के 25% में से जो भी कम हो उस तक सीमित हैं।
   2. संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) के लिए उपस्थिति सूचियां रखना आवश्यक है।
   3. पार्टी बसों की अनुमति नहीं है।

c. <u>गेम और कसीनो के लिए शमन उपाय।</u> क्षेत्र के गेम और कसीनो इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:
   1. गेमिंग के स्थान और कसीनो को रात्रि 11:00 बजे से दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिए और गेमिंग टर्मिनलों को संचालन रोक देना चाहिए।
   2. गेमिंग के स्थान और कसीनो क्षमता के 25% पर सीमित हैं।
   3. गेमिंग के स्थानों और कसीनो को अपनी इकाइयों के रेस्त्रां एवं बार वाले भागों के लिए रेस्त्रां एवं बार के शमन उपायों का पालन करना होगा।

d. <u>सभी कार्यस्थलों के लिए शमन उपाय।</u> व्यवसाय और प्रतिष्ठान उच्च जोख़िम वाले व्यक्तियों के लिए घर से कार्य करना प्रचलित करेंगे, और यह मूल्यांकन करेंगे कि और कर्मी घर से कार्य कर सकते हैं या नहीं। यह सरकारी आदेश अधिकतम संभव कर्मियों के लिए घर से कार्य करने को प्रोत्साहित करता है।

अनुभाग 2. यह सरकारी आदेश समुदाय पुनर्जीवन आदेश (सरकारी आदेश 2020-43) का संपूरक है, जो तब के सिवाय प्रभावी है जब इसके नियम, उपर्युक्त अनुभाग 1 में सुव्यक्त रूप से वर्णित नियमों के साथ असंगत हों। समुदाय पुनर्जीवन आदेश की अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें सामाजिक दूरी तथा फ़ेस कवर पहनने से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं, लागू रहेंगी। समुदाय पुनर्जीवन आदेश के अनुभाग 4 में वर्णित छूटें इस सरकारी आदेश पर लागू होती हैं।

अनुभाग 3. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker) राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा अक्तूबर 29, 2020 को जारी

राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा अक्तूबर 29, 2020 को दायर